

डिगरी व मुकदमे इबतदाई

(ओ. 20 रु. 6-7 जाक्वा दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी
व इजलास श्री सुनील कुमार आर.ए.एस.

वादीगण:-

1. उगराराम पुत्र ठाकराराम
 2. पदमाराम पुत्र ठाकराराम
 3. मगाराम पुत्र ठाकराराम
 4. पारुदेवी पत्नि मूलाराम
 5. ओमप्रकाश पुत्र मूलाराम
 6. रूखमणाराम पुत्र मूलाराम
- जाति जाट निवासी नेहरो का तला,नोखडा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
बनाम

प्रतिवादीगण

1. ठाकराराम पुत्र वस्ताराम जाति जाट निवासी नेहरो का तला,नोखडा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
2. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते घोषणा व पाने स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 28/2017

निर्णय दिनांक : 14/2/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री दलाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद ग्रस्त भूमि सरहद मौजा नेहरो का तला पटवार मण्डल नौखडा के खेत खसरा संख्या 642/1 रकबा 55-00 बीघा व खसरा संख्या 650 रकबा 60-17 बीघा वादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुडामालानी इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/2/20 को जारी की गई।

मुहर



कमांक: वाचक/2020/101

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुडामालानी।

(सुनील कुमार)

सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी
दिनांक : 25/2/2020

(सुनील कुमार)

सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी

